**राजस्थान सरकार**
**वित्त (कर) विभाग**

क्रमांक F.24(2)/FD/Tax/2026-28 दिनांक: 26.02.2026

**आदेश**

विषयः– हिन्दी फिल्म "शतक" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध मे।

हिन्दी फिल्म "शतक" को मल्टीप्लैक्स/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय किया गया है:–

(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमा/मल्टी प्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लासों की आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(2) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्म के दौरान राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय कियां जायेगा।

(3) फिल्म पर आगणित राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की धनराशि, पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा स्वयं के स्तर से राजकोष में उसी विहित प्रकिया के अनुसार जमा की जायेगी जिस प्रकार इस आदेश के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु राजकोष में जमा की प्रक्रिया विहित है।

(4) पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर) द्वारा दर्शकों से राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की वसूली यदि आदेश जारी किये जाने से पूर्व में कर ली गई है तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

(5) मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एवं प्रकिया के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

(6) यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

26.02.26
(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसे आज के असाधारण राजपत्र के भाग–1 (ख) में प्रकाशित करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
3. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
8. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
10. श्री आशीष तिवाडी, ADA 360 DEGREE LLP, H-17, 2nd Floor, Kailash Colony, Delhi, 110048
11. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव